कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/निस्तार/1502 भोपाल, दिनांक : 17 अप्रेल 2008

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– वन विकास निगम के क्षेत्रों में निस्तार प्रदाय की व्यवस्था।

---0---

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश वन विकास निगम को व्यवसायिक वृक्षारोपण हेतु वन क्षेत्र हंस्तांतरित किये गये है। वन विकास निगम के अधीन इन क्षेत्रों में स्थित गांवों में निस्तार प्रदाय के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इससे इन ग्रामीणों को हो रही असुविधा के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

1. वन विकास निगम को हस्तांतरित वन क्षेत्रों में स्थित गांवों में निस्तार प्रदाय के प्रावधान जिले की निस्तार पत्रिका में किये जावें। प्रत्येक जिले की निस्तार पत्रिका में इस बाबत् तत्काल संशोधन जारी करें।
2. इन क्षेत्रों में निस्तार प्रदाय के लिये निस्तार डिपो एवं उनमें रखी जाने वाली वनोपज की मात्रा का निर्धारण संबंधित क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी वन विकास निगम के मंडल प्रबन्धक के साथ समन्वय स्थापित कर करेंगे। इस प्रकार की गई निस्तार व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख जिले की निस्तार पत्रिका में रहेगा।
3. इन निस्तार डिपो में रखी जाने वाली वनोपज की व्यवस्था वन विकास निगम के संबंधित मंडल प्रबन्धक करेगें तथा निस्तार डिपो के रख रखाव का दायित्व संबंधित मंडल प्रबन्धक का होगा।
4. ग्रामीणों को इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदाय की गई निस्तार वनोपज का विवरण मंडल प्रबन्धक संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी को प्रतिमाह प्रस्तुत करेगें।

ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू माने जावेगें। कृपया आपके अधीन समस्त वनमंडलाधिकारियों को इन निर्देशों के पालन हेतु निर्देशित करे तथा निस्तार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना सुनिश्चित करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठा.क्र.निस्तार/1503 भोपाल, दिनांक : 17 अप्रेल 2008

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर दिनांक 17–4–08 को दिये गये निर्देशों के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन समस्त मंडल प्रबंधकों को इस बाबत् निर्देश प्रसारित कर वन विकास निगम के अधीन वन क्षेत्रों में स्थित गांवों में निस्तार की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल